

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली पाली

प्रार्थीगण:-

मदनसिंह पुत्र हिरसिंह जाति राजपुत
निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी
तह. देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी तह. देसूरी
जिला पाली जरिये ग्राम विकास
अधिकारी प्रा.प. कोटड़ी प.स.देसूरी
2. पोकरराम पुत्र अमरराम जाति चौधरी
निवासी कोटड़ी तह. देसूरी जिला
पाली राज.

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या : 242/2024

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : (2024/ 271)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	उपरोक्त प्रकरण में हुक्म की तारीख में जारी हुई
19.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (मुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षाकारान/चकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">N अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली</p>	
22/5/24	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी स्वयं मय अतिरिक्त उपस्थित। प्रार्थी मय प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने वृद्धावस्था में आकर उक्त निगरानी प्रकरण की भी जिम्मेदारियों के विरुद्ध उक्त यत्नाना नहीं चलाए हैं अतः जरिअ विद्वान् स्वारीज करमावे। उक्त निगरानी जरिअ विद्वान् स्वारीज की जाती है। पत्रावली फंजल बुझार होकर नम्बर के कम है। निर्णय सुने जायगा। मे सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">N 22/5/24 अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	<p style="text-align: right;">मदनसिंह</p> 